भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4152
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र

4152. श्रीमति स्मिता उदय वाघ:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियमों के नए प्रारूप भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा, अंतर-संचालन और गुणवत्ता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं और महाराष्ट्र की बढ़ती डिजिटल और दूरसंचार अवसंरचना पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा;
(ख) महाराष्ट्र दूरसंचार उद्योग को ध्यान में रखते हुए अद्तन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र और राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र की भूमिका क्या है;
(ग) प्रस्तावित डिजिटल पोर्टल दूरसंचार उपकरण हितधारकों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को किस प्रकार से सुचारू बनाता है और यह महाराष्ट्र में दूरसंचार व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को कैसे लाभान्वित करेगा; और
(घ) नए नियमों के अंतर्गत दूरसंचार उपकरणों के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध छूट का ब्यौरा क्या है और वे महाराष्ट्र में नवाचार और दूरसंचार उन्नति में कैसे सहायक होंगे?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) मसौदा दूरसंचार (मानक, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रमाणन) नियम, 2025 को भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 का अधिक्रमण करते हुए प्रस्तावित किया गया है। सा.का.नि. 1131(अ)

भाग XI के जरिये प्रकाशित "भारतीय तार (संशोधन) नियम 2017" में दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) के लिए प्रावधान किया गया है और यह पहले ही दिनांक 01.10.2018 से लागू है।

यह सुनिश्चित करता है कि दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े/इसमें उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार उपकरण ईएमआई/ईएमसी, संरक्षा, सुरक्षा अपेक्षाओं, अंतर-संचालन और अन्य तकनीकी अपेक्षाओं सहित सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। इसके मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

(i) कोई भी दूरसंचार उपकरण मौजूदा नेटवर्क के निष्पादन के स्तर को कम न करता हो जिससे वह जुड़ा हुआ है;

(ii) अंतिम प्रयोक्ताओं की सुरक्षा;

(iii) दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा;

(iv) यह सुनिश्चित करके प्रयोक्ताओं और आम जनता की सुरक्षा कि उपकरण से रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक न हो;

(v) दूरसंचार उपकरण संगत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विनियामक मानकों और अपेक्षाओं का अनुपालन करता हो।

एमटीसीटीई के अंतर्गत छह चरणों में कुल 211 दूरसंचार उपकरण पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। इस प्रकार, प्रस्तावित नियम उपर्युक्त उद्देश्यों को सुनिश्चित करना और महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ करना जारी रखेगा।

(ख) (i) टीईसी इन नियमों के तहत अधिसूचित विभिन्न दूरसंचार उपकरणों के लिए अनिवार्य अपेक्षाओं (ईआर) को निर्धारित करने और अनिवार्य अपेक्षाओं (ईआर) का अनुपालन करने वाले उत्पादों के लिए अनुरूपता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, अनिवार्य अपेक्षाओं (ईआर) के संबंध में परीक्षण करने के लिए टीईसी द्वारा प्रयोगशालाओं को नामोद्दिष्ट किया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस) दूरसंचार उपकरणों के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करने और निर्धारित सुरक्षा अपेक्षाओं के संबंध में दूरसंचार उपकरणों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) वर्तमान में, प्रमाणन प्रक्रिया पहले से ही एंड-टू-एंड ऑनलाइन है। हालांकि, प्रस्तावित पोर्टल इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा जिसमें अनुपालन के लिए मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं, शुल्क और प्रभार, गैर-अनुरूपता के नोटिस और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अंतर्गत किसी भी आदेश अथवा निदेश को विनिर्दिष्ट करना शामिल है। पोर्टल हितधारकों के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और इस तरह महाराष्ट्र सहित देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा।

(घ) मसौदा नियमों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो भारत में अनुसंधान और विकास अथवा प्रदर्शन अथवा नमूनों का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत में आयातित दूरसंचार उपकरणों के लिए छूट प्रदान करता है, जो ऐसे अनुसंधान, प्रदर्शन अथवा परीक्षण के लिए संगत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अध्यधीन हैं। ये छूट नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित देश के किसी भी भाग में स्थित स्टार्ट-अप, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, शिक्षाजगत और उद्योगजगत के लिए उपयोगी होगी। मसौदा नियम भारत में व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भारत में लाए गए ऐसे दूरसंचार उपकरणों के लिए भी छूट प्रदान करते हैं जिन्हें अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अंतर्गत आयात अथवा उपयोग करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

*****